

phase, working out a net return of 3% on the capital base. According to the Committee, this would amount to a return of 11%, taking into account the electricity tax/duty levied by the State Government after meeting operation and maintenance charges and depreciation i.e., interest charges 6% net profit 3%, general reserve 1½%.

- (b) Boards which have already achieved the first phase should immediately proceed to realise the second phase and the other Boards should aim at achieving the second phase within three to five years of their achieving the first phase.

2. The Government of India have carefully considered the above recommendations. In view of the large investments in the electricity supply industry and of the need to maximise the returns from such investments, the Government of India are of the view that the rate of return recommended by the Committee should be regarded as the minimum which should be achieved and that every effort should be made to obtain better returns. It is also necessary to accelerate the return on these investments in order to augment resources for new investments in the industry. The Government of India consider that it should be possible to attain this objective in a period shorter than that recommended by the Committee and that all efforts should be made to achieve this.

3. The other recommendations made by the Committee are under consideration.

**राजस्थान में पोंग बांध से विस्थापित किसानों का पुनर्वास**

2690. श्री मोलानाथ मास्टर : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोंग बांध के निर्माण के फल-स्वरूप विस्थापित होने वाले किसानों को सुविधाजनक ढंग से पुनः बसाने के लिये राज्-

स्थान की सरकार के लिये वित्तीय संसोधन जुटाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने उपर्युक्त आवश्यकता पर बल दिया और केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राजस्थान सरकार समय-समय पर इस बात पर जोर देती रही है कि राजस्थान नहर परियोजना के लिये और अधिक धन की व्यवस्था की जाए। संसोधनों की उपलब्धता के अनुकूल, अधिकाधिक मात्रा में, राज्य की योजना में निर्धारित राशियों के भीतर राजस्थान सरकार को राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण के लिये शतप्रतिशत पृथक रक्षित केन्द्रीय सहायता दी जा रही है ताकि इसका निर्माण शीघ्र गति से हो सके और विस्थापितों के पुनर्वास के लिये भूमि उपलब्ध हो जाये। विस्थापितों के लिये डिगियों और मकान बनाने हेतु भी परियोजना अधिकारियों को धन दे दिया गया है। अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार ने नहरी क्षेत्र में उपनिवेशन कार्य के विकास लिये 7 करोड़ रुपये की व्ययराशि का प्रस्ताव भी किया है। परन्तु योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**नजफगढ़ और नरेला में बेहातों की भूमि के अधिग्रहण को समाप्त करना**

3400. श्री मोला नाथ मास्टर : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा गैर-सरकारी फर्मों को अलॉट करने के लिए नई बस्ती बसाने हेतु नजफगढ़ और नरेला में देहातों की भूमि के अधिग्रहण की योजना को